न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 556 सन 2018

अनवान :–

1. कृष्णलाल पुत्र श्रीराराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. श्रीराम पुत्र पदमाराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. शिशपाल 3 बेगराज 4 इन्द्राज 5 ओमप्रकाश पि0 श्रीराम जाति मेधवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 484/169 के कुल किता 16 की 10.0200हैक एवं रोही मौजा चक 7 पीपीएम के खाता संख्या 83/34 की कुल 3.4150हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा सुरजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पुत्रों के द्वारा अपसी सहमति से विभाजन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 484/169 की कुल 10.0200हैक एवं चक 7 पीपीएम के खाता संख्या 83/34 की कुल 3.4150हैक भूमि आई है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के दादा सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उसके नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया ।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की आपसी सहमत के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बरानी के खाता संख्या 484/169 की कुल 10.0200हैक व चक 7 पीपीएम के खाता संख्या 83/34 की कुल 3.4150हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तस्दीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official